भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1299

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

भूजल स्रोतों का मूल्यांकन

1299. श्री नलीन कुमार कटील:

श्री डी.के.स सुरेश:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने देश के भूजल संसाधनों का आवधिक मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बेसिन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन वर्षों मे नदी घाटियों में भू-जल में अत्यधिक गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो भू-जल स्तर में उक्त गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) और (ख): जी हां, महोदय। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) समय-समय पर मूल्यांकन इकाइयों के अनुसार देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन कर रहा है जो कि ब्लॉक/तालुका/मंडल/तहसील/फिरका आदि हैं न कि बेसिन। इसके अलावा, 2022 से वार्षिक आधार पर संसाधन मूल्यांकन किया जा रहा है।

इकाई-वार भूजल संसाधन रिपोर्ट मूल्यांकन वेब-लिंक http://cgwb.gov.in/documents/2022-11-11-GWRA%202022.pdf पर देखा जा सकता है।

(ग) और (घ): जैसा कि पैरा (क) में उल्लेख किया गया है, देश में भूजल संसाधन का आकलन मूल्यांकन इकाइयों के अनुसार किया जा रहा है। इसके अलावा, 2022 के भूजल संसाधन आकलन के अनुसार, देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है, जो 2017 के आकलन (431.86 बीसीएम) की तुलना में 5.74 बीसीएम अधिक है। इसके अलावा,

देश में कुल 7089 मूल्यांकन इकाइयों में से, 1006 इकाइयों (14%) को 'अति-दोहित ' (जहां वार्षिक भूजल निष्कर्षण वार्षिक भूजल पुनर्भरण से अधिक है) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कि 2017 की तुलना में 3% कम है। मूल्यांकन (कुल 6881 इकाइयों के मुकाबले 1186 अधिक दोहित इकाइयां)।

इसके अलावा, सीजीडब्ल्यूबी निगरानी कुओं के नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर देश भर में समय-समय पर भूजल स्तर की निगरानी कर रहा है। भूजल स्तर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, नवंबर 2022 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर (2012-2021) के दशकीय औसत से की गई है। जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि लगभग 61.10% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।

हालांकि, देश के कुछ हिस्सों में भूजल स्तर मुख्य रूप से विभिन्न उपयोगों के लिए ताजे पानी की बढ़ती मांग, जोवर्षा की अनियमितता, बढ़ती जनसंख्या, औद्योगीकरण और शहरीकरण आदि जैसे कारणों से निरंतर निकासी के कारण घटता हुआ प्रतीत होता है।

ङ): हालांकि जल राज्य का विषय है, केंद्र सरकार ने देश में वर्षा जल संचयन के प्रभावी कार्यान्वयन सहित भूजल के संरक्षण, प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं, जिन्हें http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps%20taken%20by%20the%20Central%20Govt%20for%20water_depletion_july2022.pdf पर देखा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण पहलों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

(i) भारत सरकार मनरेगा, पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी, प्रासंगिक राज्य योजनाओं आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से दोहन करने और जल संचयन/ पुनर्भरण, गहन वनीकरण, जागरूकता सृजन आदि के संबंध में प्रगति की निगरानी करने के लिए देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) को लागू कर रही है। प्रथम जेएसए 2019 में 256 जिलों के जल संकट वाले ब्लॉकों में लॉन्च किया गया था जो वर्ष 2021 के दौरान (पूरे देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में) जारी रहा। वर्ष 2021 और 2022 के लिए जेएसए को माननीय प्रधान मंत्री और माननीय राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः 22.03.2021 और 29.03.2022 को लॉन्च किया गया था।

(ii) अटल भूजल योजना (अटल जल), 6000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें

उपलब्ध भूजल और सतही जल का कुशल तरीके से उपयोग करने के लिए समुदायों को शामिल करके भागीदारी मोड में ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजना तैयार करने जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। यह योजना 01.04.202 से चुनिंदा क्षेत्रों में शुरू की जा रही है, जिसमें सात राज्यों अर्थात हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिले, 229 प्रशासनिक ब्लॉक और, 8220 पानी की कमी वाली ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

(iii) माननीय प्रधान मंत्री ने 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और संरक्षण करना है।

(iv) देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से "पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986" की धारा 3(3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने/अपनाने के उपाय करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने 24 सितंबर 2020 को भूजल निष्कर्षण के नियंत्रण और विनियमन के लिए नवीनतम दिशानिर्देश को अखिल भारतीय प्रयोज्यता के साथ अधिसूचित किया था।

(v) जलभृत प्रणाली के सतत प्रबंधन के लिए सीजीडब्ल्यूबी देश में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (एनएक्यूयूआईएम) लागू कर रहा है। देश में लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल मानचित्रण योग्य क्षेत्र में से लगभग 24.50 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (30 दिसंबर 2022 तक) को कवर किया जा चुका है। शेष क्षेत्रों को मार्च 2023 तक कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। एनएक्यूयूआईएम अध्ययन रिपोर्ट प्रबंधन योजनाओं के साथ उपयुक्त कार्यकलापों के लिए राज्यों/केंद्र सघ राजय क्षेत्रों के साथ साझा की जाती है।

इसके अलावा कई राज्यों ने जल संरक्षण/संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है जैसे राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान', महाराष्ट्र में 'जलयुक्तशिबर', गुजरात में 'सुजलामसुफलाम अभियान', तेलंगाना में 'मिशन काकतीय', नीरुचेत्तु आंध्र प्रदेश में 'जल जीवन हरियाली', हरियाणा में 'जल ही जीवन' और तमिलनाडु में कुदिमारमठ योजना।

***